In the objectives of the new Railway Catering Policy, 2010, it has been stated that it will also meet the social objectives of the Government by including the provisions of reservation of the Government as per directives issued from time to time.

The Railways have categorized Stations into A1, A to F categories. The new policy has excluded the major units from the ambit of reservation and, in minor units, it is only 6 per cent for SCs and 4 per cent for STs, who together constitute one-fourth of the total population of the country.

Sir, I urge the Government to take necessary steps so that the reservation in allotment of catering units to SCs/STs is in accordance with the reservation policy of the Government of India/State Governments to improve their economic condition as per articles 46 and 335 of the Constitution of India.

Demand for measures to ensure availability of coal and power in Madhya Pradesh

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की बिजली की कमी दूर करने में आ रही समस्या, कोयले की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए प्रभावी उपायों की ओर दिलाना चाहती हूं।

वर्ष 2010-11 में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय परिदृश्य में कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। यहां उत्पादित कोयले को अन्य प्रदेशों को आवंटित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से कोयला आयात करने की सलाह दी जा रही है।

मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर, सारणी, अमरकंटक ताप विद्युत गृहों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 हेतु कुल 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का आवंटन वार्षिक अनुबंधित मात्रा के रूप में किया गया था, किन्तु इस के विरुद्ध केवल 134.25 लाख मीट्रिक टन ही कोयला प्राप्त हुआ जिस से 785.3 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

महोदय, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा 2011-12 के लिए ताप विद्युत गृहों हेतु पी.एल.एफ. का लक्ष्य 76.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जिस के लिए 170 लाख मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता के विरुद्ध 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का आवंटन वार्षिक अनुबंधित किया गया है।

18 मई, 2011 तक 19.76 लाख मीट्रिक टन की अनुबंधित मात्रा के विरुद्ध 17.40 लाख मीट्रिक टन कोयला ही प्रदाय किया गया है जिस से पी.एल.एफ. के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। अतः कोयला प्रदाय की मात्रा ए.सी.क्यू. के अनुसार बढ़ाकर 170 लाख मीट्रिक टन की जाए।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से उपरोक्त विद्युत उत्पादन में सुधारों को शीघ्र लागू करने की मांग करती हूं।

Demand to provide financial aid for development in West Bengal

SHRI KANWAR DEEP SINGH (Jharkhand): Sir, the very first task conducted by the new Government in West Bengal was to have a proper financial survey. It has been found that the

State faces a severe financial crisis. Each sector in the State suffers in the absence of proper financial aid. The Finance Commission has already recommended that Government of India should provide special package for the development of the State. I am thankful to the Hon. Prime Minister and the Union Finance Minister for sanctioning Rs.21,614 crores as financial assistance to West Bengal. I want to stress that this amount is quite meagre and the State needs more funds at the earliest. The State Government is in no position to provide matching funds for many Central Schemes and thus the requirement for more grants. We are all aware that Id and Durga Puja are approaching and all the Government employees are worried about the financial crunch being faced. The financial experts stress that the State is facing its worst financial crisis and is under a debt of more than Rs. 2 lakh crores. This liability takes 90 per cent of the State's Tax revenues.

I plead here that for the healthy democratic working in the State and to keep the people on the right path, the Central Government must prepare a special development package at the earliest. The State Government is also committed to the development of hilly areas. I hope the Hon. Prime Minister and the Hon. Finance Minister will provide the desired financial support to the State Government.

Demand to take immediate action to check deforestation in region proposed for setting up of steel plant by posco in Odisha

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : उपसभापित महोदय, कोरियाई मेगा इस्पात परियोजना पोस्को (POSCo) ने उड़ीसा में एक संयंत्र लगाने हेतु राज्य सरकार के साथ 22 जून, 2005 को समझैता पत्र में हस्ताक्षर किया था। यह समझैता पत्र पांच साल के लिए किया गया था। एक साल पहले उसकी समय-सीमा समाप्त हो गई है, ऊपर से लगभग और दो महीने बीत रहे हैं, समझौता-पत्र पुन: नवीनीकरण न किए जाने की स्थिति में पोस्को द्वारा संबंधित किसी कार्य में प्रगति करना वास्तव में गैरकानूनी ही है।

महोदय, लगभग 52000 करोड़ रुपए का एफडीआई का मामला होने के कारण यह विषय केवल राज्य सरकार के दायरे में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पोस्को के बारे में केन्द्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार के इस्पात, पर्यावरण और वन, खान, वित्त, वाणिज्य, उद्योग और ग्रामीण विकास आदि कई सारे मंत्रालय इस मेगा परियोजना से संबंधित हैं। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी-निवेश दृष्टि से वित्त मंत्रालय की भूमिका है, तो लौह अयस्क आयात-निर्यात की दृष्टि से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की भूमिका आ जाती है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पर्यावरण की। समझौता पत्र की गैर-मौजूदगी में पोस्को वहां पर होगा या नहीं, जब तक यह अनिश्चित है, वहां हो रही अंधाधुंध पेड़-कटाई कितनी यथार्थ है? यह प्रश्न अब सारे राज्य को आंदोलित करता है। यह समुद्री किनारे का मामला है। यह उसी स्थान पर है, जहां पर 1999 में सुपर-चक्रपात से लगभग 10,000 लोगों ने जान गंवायी थी, जबिक वहां पर उस समय घना जंगल था। उसी समुद्री किनारे वाले मंग्रोव (Mangrove) वनों को प्रस्तावित पोस्को के लिए काटा जाना अत्यंत विनाशकारी और विध्वंसक ही साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। समुद्री किनारे वाले पेड़ों की दीवार होते हुए भी अगर भयंकर चक्रवात से लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो आज एक भी पेड़ न होने की स्थिति में